न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 73/2020
RCMS No. : 2020/00328

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 शिवलाल पुत्र नरसिंहदास सिंधी (मालिक), मैसर्स— जय अम्बे कन्फेन्सरी, रामलीला मैदान पाली
		2 लीला देवी संकलेचा, महावीर फुड ईण्डस्ट्रीज, 48—लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज एरिया, जवडिया घुमटी, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :—
प्रार्थी अनुपस्थित
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री तरूण संकलेचा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

—: निर्णय :—

दिनांक 25/08/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 09.10.2019 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स जय अम्बे कन्फेन्सरी, रामलीला मैदान, पाली पर गया। जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला। मौके पर Sugar Boiled Candy(Brand&BCM mix fruit) के लगभग 330 मुल पैकेट रखे हुए थे, जो प्रत्येक पैकेट 400 ग्राम का था, जो आमजन को बिकी हेतु रखा गया था, जिसमें मिलावट का शक हुआ। इसलिए रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विकेता के हस्ताक्षर करवाए। बिकी हेतु रखे Sugar Boiled Candy(Brand&BCM mix fruit) के चार मूल पैक थैली वास्ते जॉच हेतु कय किया तथा इसका मूल्य 120 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की तथा उक्त कयसुदा Sugar Boiled Candy(Brand&BCM mix fruit) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर—984 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया Sugar Boiled

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Candy(Brand&BCM mix fruit) को Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded Sugar Boiled Candy(Brand&BCM mix fruit) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि उसने उक्त Sugar Boiled Candy(Brand&BCM mix fruit) अप्रार्थी संख्या 2 से विक्रय हेतु क्रय किये है, उसकी फर्म में तैयार नहीं किए है, लिहाजा उसे शास्ति से मुक्त किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि उसकी फर्म में बहुत प्रकार की कैण्डी का निर्माण किया जाता है, जल्दबाजी के कारण अलग थैली में पैकिंग कर दी गई है। अतः प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण कराने की कृपा फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2019 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म पर गया तो, वहां पर वह उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5—ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म में बेचाण हेतु रखे हुए Sugar Boiled Candy(Brand&BCM mix fruit) चार मूल पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा पैकेट को चार भागों में विभक्त कर, लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर—984 अंकित कर सीलबन्द कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./750/एक्ट/2019/799 दिनांक 22.10.2019 के अनुसार The sample of Sugar boiled candy (BCM brand) bearing Code No. & Sr.No. R-984 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Misbranded under section 3 (1)(zf)(C) (i) of Food Safety and Standards Act-2006. माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (3) (ii) के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का भी उल्लंघन है, जो धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded खाद्य वस्तु Sugar Boiled Candy(Brand&BCM mix fruit) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 5,000/— अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये कुल 15,000/— अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली